

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर।

अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव आदि।

थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही।

सी०एन०आर० नं०UPSN040016072021



फाइलिंग न.० CJM / 1607 / 2021

दिनांक-18.03.2021

आज कार्यलय से आवेदक अनवर अहमद व अब्दुल कलाम की ओर से प्रार्थनापत्र मय परिवाद अन्तर्गत एच.आर.केस प्रस्तुत हुआ। परिवाद दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश/सुनवाई हेतु दिनांक 07.04.2021 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

भदोही-ज्ञानपुर।



CHR NO JPSM040016072024
FILING NO crm/1607/2024
FILING DATE 18/03/2024

Revy No = 396/2024

न्यायालय श्रीमान् सी.जे.ए. महोदय भदोही, ज्ञानपुर,

न०मु० फौजदारी सन ई०

अनवर अहमद आदि :---- बनाम :---- अभिव यादव आदि

थाना - ज्ञानपुर, ।

प्रार्थनापत्र मिनजा निब आवेदकगण मार्फत श्री सी.ए. एल. यादव एडवोकेट।

दफा 1-यहकि प्रार्थगिण ने मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक परिवार

पत्र माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भदोही ज्ञानपुर कोर्टसं०।

के न्यायालयमें दाखिल कियाथा जिसके सम्बंध में न्यायालय द्वारा जांच की प्रतिक्रिया अग्रसर की गयी है।

दफा 2 यहकि प्रार्थगिण द्वारा प्रस्तुत संलग्नक परिवारपत्र की सुनवाई संव

प्रसंज्ञान का क्षेत्राधिकार ए.एस.जे. महोदय भदोही, ज्ञानपुर कोर्टसं०।

को नहीं था इसलिये प्रार्थगिण का परिवारपत्र अंतर्गत धारा 20।

द० प्र० सं० में आवेदकगण को वापस दिया है।

दफा 3-यहकि वृत्त सरकारी कर्मचारी के बिल्ट सभी प्रकार के परिवारपत्र

व अपराधिक मुकदमा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय

को प्राप्त है इसलिये प्रार्थगिण संलग्न परिवारपत्र माननीय न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

अतः श्रीमान् जीसे प्रार्थना है कि संलग्न परिवारपत्र ग्रहण कर अग्रसर कार्यवाही करने की कृपा करे ताकि न्याय हो।

दिनांक 18-3-2024 ई०

अब्दुल कलाम

31/03/24


70
18/03/24

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 / अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

01.02.2021

श्री अनवर अहमद पुत्र खलील व श्री अब्दुल्ला कलाम पुत्र
बरकत अली सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही जिनकी पहचान
अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार पंजीकरण संख्या- 9398/13 है के द्वारा
शिनाख्त की गयी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है कि दिनांक 29.01.
2021 को दिन में 10.30 बजे से 11 बजे के मध्य सी0डि0 अभिनव
यादव व नेहा रानी ने चौकी इंचार्ज सुनील यादव को बुलाकर 10-10
थप्पड़ मरवाया दोनो को बाध्य किया कि नेहा रानी का पैर छुकर माफी
मांगों।


इस परिवाद के समर्थन में अनवर अहमद व अब्दुल्ला
कलाम ने अपना शपथपत्र व आधारकार्ड प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया
मानवाधिकार के उल्लंघन और मानव गरिमा गिराने का अभियोग है अतः
यह प्रकरण एच0आर0 केस के रूप में पंजीकृत किया जाये व
परिवादियों के बयान के लिये 2.30 बजे पेश हो।

 01.2.21

पी0एन0 श्रीवास्तव
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1,
भदोही-ज्ञानपुर।

3 पी0एम0

परिवादी अनवर व अब्दुल्ला उपस्थित उनका कथन
ई0डब्लू-1 और ई0डब्लू-2 के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी अन्य
साक्ष्यों की सूची दिनांक 06.02.2021 तक प्रस्तुत करें।

 01.2.21

पी0एन0 श्रीवास्तव
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1,
भदोही-ज्ञानपुर।

03.2.21 - application to produce

C.C.T.V Footage dated 29-1-21
from 10 am to 3 pm. will
list of witness. put up on date
fresh summons - C.U. &
Rwmbh for date fresh
3.2.21

Receiving memo
03/02/21

06/02/2021 Case - called
out. witness Ramesh is
present. and Rajesh
Bahadur.

Applicant Abdul
Kalam & Anwar present,
statement of EW3/EW4
recorded. Admissions

2/2/21

for 267 evidence


on 02/3/21. send a letter
to S.P BHADURI.

23/02/2021 Today

06/2/21

report of Inspector
S.H.O Bhaduri received
regarding presence of
S.I. Sumed Yadav.

Summed - Not witness
Abhinav Singh reader
of U. J (500) / Purbani
Patil to JM for 02/3/21



In the court of A.S.J. Court No.1,/ Special Judge
Human Right Preservation Act 1993.


H.R. Case No. 03/2021

Complainant Anwar Ahmad and Abdul Kalam identified by his advocate submitted application 23-kha to withdraw his complaint for adopting other mode of proceeding.

As per circular order of Hon'ble High Court designated court of human right act cannot take cognizance directly unless the case is committed to court of session. Though, this court is designated under Section 30 of human right act 1993 but there is no specific procedure to conduct inquiry or trial. By virtue of Section 4(2) Cr. P. C. chapter XV Cr. P.C. is applicable for conducting an inquiry or trial. Section 201 Cr. P. C. provides procedure by magistrate not competent to take cognizance of the court. If the complaint is in writing return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect.

This complaint is returned to the complainant to present before proper court.

Date:- 02-03-2021


P.N. Srivastava
Addl. Sessions Judge Court
No.-1, Bhadohi.



CNR NO- UPS/NO/0001/952021
FILE NO- W-5/125/2021
FILE NO- 01/02/2021
405

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधि० भदोही।

नं०मु० परिवाद ०३ सन् २०२१ ई०

- 1- अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद उम्र लगभग ५५ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही-सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही।
- 2- अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली उम्र लगभग २४ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही-सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही।

बनाम

- 1- अभिनव यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार यादव उम्र लगभग वर्ष निवासी ग्राम रंजितपुर, मदारपुर जिला-जौनपुर उ०प्र० "सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय-भदोही"
- 2- सुनिल यादव चौकी इन्चार्ज कस्बा ज्ञानपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद-भदोही
- 3- नेहा रानी पुत्री श्री प्रमोद कुमार उम्र लगभग वर्ष निवासिनी भायपुर पो० शरीफनगर, तहसील ठाकुरद्वार, जनपद-मुरादाबाद उ०प्र० "आशुलिपिक न्यायालय सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय भदोही"

घटना का दिनांक-29.01.2021 ई०

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल- चेम्बर सिविल जज सी०डी० जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान ज्ञानपुर।

परिवाद पत्र मिनजानिव अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही व अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही स्थान ज्ञानपुर।

परिवादी निम्नलिखित निवेदन करते है-

दफा-1 यह कि परिवादीगण जनपद न्यायालय भदोही में सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त है तथा न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष एवं उससे सम्बन्धित विश्राम कक्षों की सफाई नियमित रूप से करते है।

अन्वर अहमद

अब्दुल कलाम

29-01-2021

4/5
2

दफा-2 यह कि हम परिवादीगण पूरे सेवा काल में अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी से सफाई का कार्य कर रहे हैं, कभी भी हम परिवादीगण की कोई शिकायत नहीं रही है।

दफा-3 यह कि दिनांक-29.01.2021 ई0 को लगभग 10:30 बजे हम परिवादीगण को श्री अभिनव यादव सिविल जज सी0डि0 ने अपने चपरासी रमेश से चेम्बर में बुलवाया / परिवादीगण श्री अभिनव यादव के चेम्बर में गये तो वहाँ पर चौकी इन्चार्ज कस्बा ज्ञानपुर सुनिल यादव बैठे थे परिवादीगण जैसे ही चेम्बर में पहुँचे तो श्रीमान सिविल जज साहब ने कहा की तुम लोग मेरे स्टेनो नेहा सिंह के कुर्सी पर पिन लगाये थे। जिसके कारण नेहा सिंह को पिन चुभ गयी तुम लोगो ने ऐसा क्यों किया। हम परिवादीगण ने कहाँ कि श्रीमान् जी हम लोग ऐसा क्यों करेगे हम लोगो ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इस पर श्रीमान् सिविल जज महोदय ने दरोगा सुनिल यादव से कहा कि इन दोनों को मारो जब तक दोनों कबूल न ले कि पिन इन्ही दोनों ने लगाया है। जब चौकी इन्चार्ज सुनिल यादव हम परिवादीगण को दस-दस झापड़ मारा और गाली दिया तथा श्रीमान् सिविल जज महोदय ने कहा कि दोनों अपने अल्लाह की कसम खाओ नहीं तो बहुत पीटेंगे हम परिवादीगण गिड़गिड़ाते रहे कि हम लोगो ने कोई गलती नहीं किया है। इस पर श्रीमान् सिविल जज साहब ने दरोगा से कहा कि ऐसे नहीं कबूलेगें इन्हे चार-चार थप्पड़ और लगाओ, और इनसे कबूलनामा लिखवाओ तब चौकी इन्चार्ज सुनिल यादव ने फिर हम परिवादीगण को चार-चार झापड़ मारा और सादे कागज पर हम परिवादीगण से जबरदस्ती दस्तखत करवाया।

दफा-4 यह कि हम परिवादीगण को श्रीमान् सिविल जज साहब ने नेहा ~~सिंह~~ के पैर पर गिरकर माँफी मगवाया।

दफा-5 यह कि हम परिवादीगण ने घटना के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय भदोही से मिलकर अपने साथ घटित घटना के सम्बन्ध में सारी बात बताया।

अब इलकाम

अब इलकाम

01-2-21

405
3

- दफा-6 यह कि विपक्षी अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण को मारा पिटा गया जबरदस्ती कागज पर दस्तखत बनवाया गया तथा जबरदस्ती अल्लाह की कसम खाने को मजबूर किया गया तथा नेहा ~~बि~~ का पैर पकड़ कर माफी मगवाँ कर परिवादीगण को अपमानित किया गया। तथा परिवादीगण के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया।
- दफा-7 यह कि परिवादीगण निम्नसमाज हेला जाति से है तथा सफाई कर्मी है विपक्षीगण द्वारा मानवाधिकार का उलंघन करते हुए परिवादीगण के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया तथा मार-पीट कर अपमानित किया गया। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
- दफा-8 यह कि उक्त परिवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घटित घटना से सम्बन्धित है। जिसके सुनवाई का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- दफा-9 यह कि विपक्षी/अभियुक्तगण को तलब किया जाकर दण्डित किया जाना न्याय की दृष्टि में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि, विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करे।

दिनांक- 01-02-2021 ~~अब्दुल कलाम~~ ~~अहमद~~ ~~A~~

अब्दुल कलाम

~~A~~ ~~A~~
01-2-21



5/1

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
मानवाधिकार संरक्षण अधि० भदोही।

नं०मु० परिवाद ०३ सन् २०२१ ई०
अनवर अहमद आदि बनाम अभिनव यादव आदि।

घटना का दिनांक-29.01.2021 ई०

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल- चेम्बर सिविल जज सी०डि०
जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान
ज्ञानपुर।

शपथपत्र मिनजानिव अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली निवासी पोस्ट
आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही-सफाई
कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही निम्न बहलफ बयान किया है कि-

दफा-1 यह कि मिन शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी
एवं सफाई कर्मचारी है।

दफा-2 यह कि शपथकर्ता माननीय न्यायालय में तलब किये जाने
हेतु परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है।

दफा-3 यह कि परिवाद पत्र के मजमून दफा 1 लगायत 9 को
शपथकर्ता की तरफ से शपथपत्र का अंश समझा जाय एवं
उसे शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय। जिसे शपथकर्ता
तसदीक करता है।

अब्दुल कलाम

[Signature]

[Signature]

01-2-21

मैं कि अब्दुल कलाम तसदीक करता हूं कि उपरोक्त मजमून दफा 1
लगायत 3 दफा तक मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। जिसमें
कोई बात झूठी नहीं है न तो छुपाई ही गयी है। खुदा मेरी मदद
करे। तसदीक स्थान ज्ञानपुर।


अब्दुल कलाम


[Signature]

[Signature]

01-2-21

दिनांक-01-02-2021





6/9

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
मानवाधिकार संरक्षण अधि० भदोही।

नं०मु० परिवाद ०३ सन् 2021 ई०
अनवर अहमद आदि बनाम अभिनव यादव आदि।

घटना का दिनांक-29.01.2021 ई०

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल- चेम्बर सिविल जज सी०डि०
जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान
ज्ञानपुर।

शपथपत्र मिनजानिव अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी पोस्ट
आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही-सफाई
कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही निम्न बहलफ बयान किया है कि-

दफा-1 यह कि मिन शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी
एवं सफाई कर्मचारी है।

दफा-2 यह कि शपथकर्ता माननीय न्यायालय में तलब किये जाने
हेतु परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है।

दफा-3 यह कि परिवाद पत्र के मजमून दफा 1 लगायत 9 को
शपथकर्ता की तरफ से शपथपत्र का अंश समझा जाय एवं
उसे शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय। जिसे शपथकर्ता
तसदीक करता है।

अनवर अहमद आदि

मै कि अनवर अहमद तसदीक करता हूं कि उपरोक्त मजमून दफा 1
लगायत दफा 3 तक मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। जिसमें
कोई बात झूठी नहीं है न तो छुपाई ही गयी है। खुदा मेरी मदद
करे। तसदीक स्थान ज्ञानपुर।

दिनांक-01-02-2021

अनवर अहमद


Ad

3

Ad

01-2-21

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भदोही - ज्ञानपुर



26
 21/12/2013
 अखिल कलाम

20/ 6339

अभिभाषक-पत्र

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय विशेष न्यायाधीश ज्ञानपुर, भदोही
 वाद संख्या / अपील संख्या / निगरानी संख्या परिवाद 2021 सन्
अनवर अहमद आदि वादी / प्रार्थी / अपीलकर्ता / निगरानी कर्ता

बनाम

अश्विन यादव आदि

प्रतिवादी / प्रत्युत्तरदाता / आपत्तिकर्ता

मै / हम अनवर अहमद श/0 अली अहमद नि. व
अब्दुल कलाम श/0 बरकत अली निवासी गण-पोस्ट
आफिस के पीछे ज्ञानपुर घाटा-ज्ञानपुर जिले भदोही
 ने श्री सुरेन्द्र कुमार इडवोकेट एन 9358/2013

| | | |
|----------|-----|----------------|
| भदोही | | |
| न्यायालय | वाद | वादी प्रतिवादी |

को उपरोक्त वाद कार्यवाही हेतु विधिक शुल्क या पक्षों के बीच निर्धारित देय शुल्क के आधार पर अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। अधिवक्ता महोदय को पंच नियुक्त कर दें, अपने हस्ताक्षर से संधि-पत्र प्रस्तुत करने, उसे प्रमाणित करने व हर प्रकार के आवेदन-पत्र देने, वाद उठाने, अथवा पुनः प्रस्तुत करने, की अनुमति के साथ वाद उठाने, वाद निरस्त करने, अथवा अपास्त करने, का आवेदन पत्र देने, पुनर्स्थापना पत्र देने, साक्ष्य हेतु अभिलेख पुस्तुत करने व उन्हें वापस प्राप्त करने, और लिखित कथन व अन्य अभिकथन, अपील प्रस्तुत करने, व हर प्रकार के न्यायालय शुल्क आदि को वापस प्राप्त करने का अधिकार मेरे लिए व मेरे समान होगा जो मेरे अधिवक्ता द्वारा कृत कार्यवाही समझी जायेगी जो मुझे स्वीकार होगी। न्यायालय द्वारा जो धनराशि अथवा परिव्यय दिलाया जायेगा उसे मेरी तरफ से प्राप्त करने का अधिकार मेरे अधिवक्ता महोदय का होगा। उपरोक्त प्राविधान व अन्य विविध आधारों के साथ यह अभिभाषक-पत्र हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

निम्नलिखित प्राविधानों के साथ अभिभाषक-पत्र स्वीकार है।

1- यदि परिश्रमिक शुल्क पूर्णतः भुगतान नहीं की जायेगी तो मै उपरोक्त वाद / कार्यवाही के क्रम में काम को बाध्य नहीं हूँ।

सुरेन्द्र कुमार
इडवोकेट

दिनांक 01/2-21

माह

वर्ष

24/12/2013
UP 09338/2013



हस्ताक्षर

गवाह

गवाह

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 /
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

एच0 आर0 केश नं0 37/2021 (EW1)

बयान परिवादी-अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद आयु 44 वर्ष सफाई
कर्मचारी सिविल न्यायालय भदोही आवासीय पता-ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस
के पीछे थाना-ज्ञानपुर जिला भदोही ने सशपथ बयान किया।

मैं सिविल न्यायालय भदोही में संविदा पर सफाई कर्मी का
काम पिछले 20 वर्ष से कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी सरपतहा में सिविल
कोर्ट की सफाई करने की है, और जिला जज के अदालत से दक्षिण
की ओर स्थित न्यायालय, विश्राम कक्ष की सफाई करने सबेरे 7.30 या 8
बजे रोज आते है। हर न्यायालय के पेशकार या स्टाफ के पास चाभी
रहती है। जब स्टाफ खोलता है तभी सफाई करते है।

मेरे साथ दिनांक- 29.01.2021 को यह घटना हुयी है कि
सुबह 10.30 बजे सिविल जज सीनियर डिविजन अभिनव यादव ने अपने
चपरासी रमेश से अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा कि तुम लोगो ने
नेहा की कुर्सी में पिन लगाया है। हमने और अब्दुल्ला ने कहा कि हम
लोगो ने यह काम नहीं किया है और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं
है। अभिनव यादव ने दारोगा सुनील यादव से कहा कि इन दोनों को
मारो जब तक ये लोग कबूल न कर ले कि पिन इन लोगों ने लगाया
है। इतना सुनते ही दारोगा सुनील ने 8-10 झापड़ मुझे और 8-10
झापड़ अब्दुल्ला को मारा। दारोगा ने फिर मुझको गाली देते हुये कहा
कि साले मैडम नेहा का पैर पकड़कर माफी मागों नहीं तो फिर मारेगे।
हम लोगो ने अल्ला की कसम खाकर कहा कि हम लोगों ने कोई
गलती नहीं की है। तब अभिनव यादव के उकसाने पर दारोगा
सुनील यादव ने 4-5 थप्पड़ फिर अब्दुल्ला को मारा और सिविल जज
साहब ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, अब्दुल्ला को तुम
मारो। दारोगा सुनील यादव 29.01.2021 को सिविल जज के चैम्बर में
आया था यह सी.सी.टी.वी. फुटेज में मौजूद होगा।

उसके बाद अभिनव यादव ने अपने स्टेनो नेहा का पैर

अनवर अहमद

12.21

10/2

पकडाकर मुझसे और अब्दुल्ला से जबरजस्ती माफी मांगवाया उसके बाद हम लोगों से एक सादे कागज पर दस्तखत करवा कर भगा दिया। मैंने इस घटना की सूचना नाजिर राजेश सिंह व डिपटी नाजिर आनन्द तिवारी को तुरंत दिया है और डिपटी नाजिर मुझे लेकर जिला जज के पास गये थे मैंने यही बात जिला जज को बतायी। मेरे साथ मारपीट के समय चन्द्रेश कम्प्यूटर बाबू भी आये थे। आनन्द तिवारी हम लोगों को समझा रहे है कि जो भी हुआ भूल जाओ नही तो लम्बा फस जाओगे। यही मेरा बयान है मेरे साथ न्याय किया जाये।

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर ममता स्टेनो के द्वारा टंकित किया गया।

सुनकर तसदीक किया।

अहमद अहमद

पी0एन0 श्रीवास्तव

01.2.21

दिनांक 01.02.2021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 /
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

एच0आर0 केश नं0 3/2021 (EW 2)

बयान परिवादी- अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली आयु 28 वर्ष सफाई
कर्मचारी सिविल न्यायालय भदोही आवासीय पता- ज्ञानपुर पोस्ट
ऑफिस के पीछे थाना-ज्ञानपुर जिला भदोही ने सशपथ बयान किया।

मैं सिविल न्यायालय भदोही में संविदा पर सफाई कर्मी का
काम वर्ष 2011 से कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी सरपतहा में सिविल कोर्ट की
सफाई करने की हैं, और जिला जज के अदालत से दक्षिण की ओर
स्थित न्यायालय विश्राम कक्ष की सफाई करने सबेरे 7.00 बजे रोज आते
है। हर न्यायालय के पेशकार या स्टाफ के पास चाभी रहती है। जब
स्टाफ खोलता है तभी सफाई करते है।

मेरे साथ दिनांक- 29.01.2021 को यह घटना हुयी है कि
सुबह 11.00 बजे सिविल जज सीनियर डिविजन अभिनव यादव ने अपने
चपरासी रमेश से अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा कि तुम लोगो ने
नेहा की कुर्सी में पिन लगाया है। हमने कहा कि हमने यह काम नही
किया है और हमे इसकी कोई जानकारी नही है। फिर अभिनव यादव
साहब ने मुझसे कहा कि यह काम तुम्ही ने किया है। अभिनव यादव ने
दारोगा सुनील यादव से कहकर मुझको मरवाये और कहे कि जब
तक यह कबूल न कर ले कि पिन नेहा के चेयर पर मैने लगाया है तब
तक इसको मारो। इतना सुनते ही दारोगा सुनील ने मुझे 5-10 झापड़
मारा। दारोगा ने फिर मुझको गाली देते हुये कहा कि साले मैडम नेहा
का पैर पकड़कर माफी मागों नही तो फिर मारेगे। हम लोगो ने अल्ला
की कसम खाकर कहा कि हमने कोई गलती नहीं की है। तब
अभिनव यादव के उकसाने पर दारोगा सुनील यादव ने 4-5 थप्पड़ फिर
मारा और सिविल जज साहब ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी गलती
नही हैं। दारोगा सुनील यादव 29.01.2021 को सिविल जज के चैम्बर में
आया था यह सी.सी.टी.वी. फुटेज में मौजूद होगा। जब मैं सफाई करके
निकल रहा था तभी रमेश चपरासी चैम्बर में घुस रहा था। उसके बाद
अभिनव यादव ने अपने स्टेनो नेहा का पैर पकडाकर मुझसे जबरजस्ती


अब्दुल कलाम

01.2.21

माफी मांगवाया उसके बाद हमसे एक सादे कागज पर दस्तखत करवाकर भगा दिया। मैंने इस घटना की सूचना नाजिर राजेश सिंह व डिपटी नाजिर आनन्द तिवारी को तुरंत दिया है और डिपटी नाजिर मुझे लेकर जिला जज के पास गये थे मैंने यही बात जिला जज को बतायी। मेरे साथ मारपीट के समय चन्द्रेश कम्प्यूटर बाबू भी आये थे। आनन्द तिवारी हम लोगों को समझा रहे है कि जो भी हुआ भूल जाओ नही तो लम्बा फस जाओगे। यही मेरा बयान है मेरे साथ न्याय किया जाये।

उपरोक्त बयान मेरे बोलने पर ममता
स्टेनो के द्वारा टंकित किया गया।

सुनकर तसदीक किया।

 01-2-21
पी0एन0 श्रीवास्तव

अब्दुलक़राम

दिनांक 01.02.2021

20-12

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
भदोही।

सेवा में,

पी०एन० श्रीवास्तव,
अपर जिला जज- प्रथम,
भदोही।

पत्रांक - 140/XV /ज्ञानपुर; दिनांक: फरवरी, 03, 2021

महोदय,

आपके न्यायालय में लम्बित मानवाधिकार मुकदमा सं० - 03/2021 अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव व अन्य के मेमो एवं शपथ पत्र के प्रति की आवश्यकता है।


अतः उक्त दोनों प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

जनपद न्यायाधीश
भदोही।

Sessions Clerk to
comply forth with

ASJ-Court No/



13/11

विशेष न्यायाधीशमानवाधिकारसंरक्षण अधिनियम
न्यायालयश्रीमान अपरसत्रन्यायाधीश महोदयभदोहा प्रथम ज्ञानपुर

नं० परिवाद ०३ सन २०२१

अनवर अहमद आदि बनाम अभिनवयादव सिविल जज आदि

थाना ज्ञानपुर

प्रार्थनापत्र मिनजानिव अनवरअहमद पुत्र खोलअहमद वार्डन०३ कुवरगंज

थाना ज्ञानपुरजिला भदोहीमाफत श्री सुरेन्द्रकुमार रञ्जकैट ।

दफा 1- यहकि प्राथी द्वारा एक कितापरिवादपत्र माननीयन्यायालय में दाखिलकिया है

जिसमेंमा न्यायालयद्वारा प्राथीका वयान अंकितकिया जा चुका है ।

दफा 2 यहकि माननीयन्यायालय में लगे सी सी टी वी फुटेज का दि०-२९-१-२१

समय १०वजेसे ३ वजे तक का सी सी टी वी फुटेज सुरक्षितकियाजाना

जरुरी है ।

दफा 3 यहकि घटना वाले दिन दरोगा सुनीलकुमारयादव घटना के समय न्यायालय

परिसर मेंउपस्थित थे ।

दफा 4- यहकि उक्त दिनांक का न्यायालय परिसर का सीसी टी वी

फुटेज सुरक्षित रखा जाना न्याय की दृष्टि मेंआवश्यक है ।

अतःश्रीमानजोसेप्रार्थना है कि दि०-२९-१-२०२१ समय १०वजे से

३ वजे तक न्यायालय परिसर के सी सी टी वी फुटेज को सुरक्षित

रखे जाने की कृपा करे ताकि न्याय हो ।

दि०- ३-२-२०२१

अनवर अहमद

Put up
with
record
03/02/21

न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, भदोही।

एच0आर0 केस नं0 03/2021

अनवर अहमद आदि-----बनाम-----अभिनव यादव आदि

नाम साक्षी राजेश बहादुर सिंह पिता का नाम स्व0 श्री गुलाब सिंह उम्र लगभग 53 साल स्थायी पता-पटेल नगर, थाना-ज्ञानपुर जिला भदोही पद नाम- केन्द्रीय नाजिर सिविल कोर्ट ज्ञानपुर भदोही शसपथ बयान किया है।

मैं जनवरी 2019 से केन्द्रीय नाजिर के पद पर हूँ श्री अनवर अहमद व अब्दुल कलाम संविदा पर सफाई का काम करते हैं। अनवर लगभग 20 साल और अब्दुल कलाम लगभग 15 साल से सफाई कर्मी का काम कर रहा है। इन दोनों सफाई कर्मियों के कार्य व आचरण पर कभी कोई शिकायत नहीं मिली। दोनों कर्मचारी अति विनम्र और अज्ञाकारी हैं। मुझे 29 जनवरी 2021 को 1.30 से 2 बजे के बीच नजारत में अनवर व अब्दुल कलाम ने आकर बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिनव यादव ने अपने चैम्बर में दारोगा से 10-10 थप्पड़ मरवाया। यह बताया कि पिन गिरी थी इसलिये मुझे मरवाया। मैंने कुछ नहीं किया था सहायक नाजिर आनन्द तिवारी इन लोगों को जिला जज सामने पेश किये थे।

पुरा बयान पढकर साक्षी को सुनाया गया
साक्षी ने सुनकर सत्यतता तसदीक किया।

अनवर अहमद
6.2.21

उपरोक्त बयान मेरे बोलने

पर ममता स्टेनो द्वारा टंकित

किया गया।

अपर जिला जज कक्ष संख्या-1,

भदोही।

दिनांक- 06.02.2021

जुमान सिंह (उक्त जज)
अपर कक्ष।

रिपोर्ट थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही

20/9

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद भदोही

महोदय,

निवेदन है कि आप अपने पत्र संख्या च-02/2021 दि० 18.02.2021 के द्वारा थाना स्थानीय पर नियुक्त उ०नि० नागरिक पुलिस सुनील कुमार यादव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है-


1. बैच नं०- 2017

2. पीएनओ 172160250

3. स्थायी पता- ग्राम खुर्द कर्मी थाना चिरईयाकोट जनपद मऊ उ०प्र०

4. रवानगी जी०डी० न० 28 समय 11.18 बजे दिनांक 28.01.2021 वापसी जी०डी० न० 47 दिनांक 19.53 बजे दिनांक 29.01.2021 । दि० 29.01.2021 को समय 10.23 बजे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद भदोही श्री प्रभाष त्रिपाठी द्वारा माननीय सिविल जज सी० डी० श्री अभिनव यादव के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम उ०नि० सुनील यादव उनके न्यायालय में उपस्थित हुए थे । न्यायालय परिसर में कोई प्रतिकूल बात न होने के कारण उ०नि० सुनील यादव द्वारा रो०आम में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गयी ।

(स/स)



प्रभारी निरीक्षक
थाना ज्ञानपुर
जनपद भदोही

Seen
KOP
3

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

भदोही।

पत्र संख्या:च-02/2021
सेवा में,

दिनांक:फरवरी 22, 2021

मा0अपर जिला जज / विशेष जज मानवाधिकार,
ज्ञानपुर-भदोही।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित-शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से उ0नि0ना0पु0 सुनील कुमार यादव के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यथावांछित सूचना बिन्दुवार निम्नवत् सादर प्रेषित है:-

01. His batch no.2017
02. PNO No.172160250
03. Permanent address.-ग्राम-खुर्दकर्मी,थाना-चिरईयाकोट,जनपद-मऊ
04. Entry of GD by which he proceeded to Civil Court and name of Officer who called him.-रवानगी जी0डी0नं0-28 समय-11.18 बजे दिनांक-28.01.2021, वापसी जी0डी0नं0-47 समय-19.53 दिनांक-29.01.2021, दिनांक-29.01.2021 को समय 10.23 बजे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जनपद भदोही श्री प्रभाष त्रिपाठी द्वारा माननीय सिविल जज सी0डी0 श्री अभिनव यादव के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में उ0नि0सुनील यादव उनके न्यायालय में उपस्थित हुए थे। न्यायालय परिसर में कोई प्रतिकूल बात न होने के कारण उ0नि0सुनील यादव द्वारा रो0आम में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गयी।

(राम बदन सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
भदोही।

Seen
Kot
2

समक्ष न्यायालय विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 1 भदोही।

एच०आर० केस नं०- 3/2021

अब्दुल्ला एवं अन्य

बनाम

1. अभिनव यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन
2. सुनील यादव तत्कालीन चौकी इंचार्ज कस्बा ज्ञानपुर।
3. नेहा रानी आशुलिपिक सिविज जज सीनियर डिवीजन



हम प्रार्थीगण अनवर अहमद एवं अब्दुलकलाम निम्न निवेदन करते हैं-

1. यह कि दि० 29.01.21 को 10:30 से 11 बजे के बीच श्री अभिनव यादव सिविल जज अपने चैम्बर में बुलवाकर वहां पहले से बैठे हुए दरोगा सुनील यादव से हम लोगों को 10-10 थप्पड़ मरवाकर अल्लाह की कसम दिलवाई और हमारे मजहब के विरुद्ध नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए बाध्य किया।
2. यह कि प्रार्थीगण ने डिप्टी नाजिर आनन्द तिवारी के साथ जाकर जिला जज महोदय को पूरी घटना से अवगत कराया, परंतु तीन दिन बीत जाने के बाद भी जिला जज ने कोई कार्यवाही नहीं किया तब प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया।
3. यह कि प्रार्थीगण अनवर अहमद, अब्दुल्ला तथा गवाह रमेश दफ्तरी और सेंट्रल नाजिर का बयान पूर्ण हो चुका है और मामला जांच के स्तर पर है।
4. यह कि प्रार्थीगण ने अंजुमन हिमायतान चपरासियान के महामंत्री को अपने साथ हुई घटना के बारे में शिकायत किया और शपथपत्र दिया था।
5. यह कि अंजुमन हिमायतान चपरासियान के द्वारा मरे हुए शिकायत पत्र को जिला जज महोदय को आवेदन दिया और जिला जज महोदय ने जांच के आदेश कर दिए हैं।
6. यह कि उक्त घटना जिला जज महोदय के संज्ञान में आने पर जिला जज महोदय ने हम प्रार्थीगण को नोटिस दिया जिसका उत्तर भी हम लोगों ने माननीय जिला जज महोदय को दे दिया है। नोटिस एवं उत्तर की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

प्रार्थना

यह कि न्यायिक प्रकिया जटिल और लंबी है जिसमें त्वरित न्याय मिलना संभव नहीं है। अतः प्रशासनिक जांच संस्थित होने के कारण हम प्रार्थीगण परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं तथा भविष्य में अग्रेतर कार्यवाही का अधिकार संरक्षित रखते हुए हम अपने परिवाद को वापस लेते हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अनवर अहमद

अब्दुलकलाम

रमेश दफ्तरी

Ramesh Daffari
Advocate

02/03/2021

प्रशासनिक कार्यालय-जिला न्यायाधीश,भदोही।

आदेश संख्या- 94, / 12.02.2021

नोटिस


बनाम

श्री अनवर अहमद
सफाई कर्मचारी
जनपद न्यायालय
भदोही।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपने सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, चौकी इंजार्च कस्बा ज्ञानपुर, थाना-ज्ञानपुर श्री सुनील यादव एवं आशुलिपिक जनपद न्यायालय,भदोही श्री नेहा रानी के विरुद्ध एक परिवादपत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भदोही के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया है। उक्त परिवादपत्र संख्या-03 सन् 2021 है। परिवादपत्र में आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप उपरोक्त तीनों के विरुद्ध लगाये गये हैं, उनका ज्ञान आपको अवश्य होगा,ऐसे में, उक्त तथ्यों का यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक-15.02.2021 तक दीजिए :-

1. उक्त परिवादपत्र दिनांकित-01.2.2021 के अतिरिक्त आपने दिनांक 02.02.2021 को, एक प्रतिवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ,जनपद न्यायालय,भदोही के अध्यक्ष व महामंत्री को भी दिया। इस प्रतिवेदन में भी वही तथ्य बताया गया है जो आपके परिवादपत्र में अंकित है। अतः आप इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या आपके द्वारा उक्त परिवाद,जो एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध है,को दायर करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों व विधियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?

2. आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि घटित घटना के सन्दर्भ में आपने जनपद न्यायाधीश को सारी बात बतायी थी। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांकित-29.01.2021,जिसका उल्लेख आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, के सन्दर्भ में आप लोगों ने मुझे विश्राम-कक्ष में आकर बताया था, ततपश्चात पुनः सीसीटीवी फुटेज को मेरे विश्राम कक्ष में लैपटाप पर देखा गया व उक्त समय आप व अब्दुल कलाम को बुलाया गया। उक्त समय आप दोनों के अतिरिक्त प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,श्री पी0एन0श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्री आलोक कुमार यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव,केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह, सहायक नाजिर श्री आनन्द तिवारी एवं कार्यालय




31.02.2021

लिपिक श्री तंजीम अहमद उपस्थित थे। परन्तु प्रथम बार जब आपने घटना मुझे बताया उस समय मैंने तुरन्त घटना सुनकर आप लोगों को भेजा व श्री अभिनव यादव,सिविल जज सीनियर डिवीजन को चेम्बर में आहूत किया था।जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था तो उपरोक्त सभी लोग उपस्थित थे और देर तक इस प्रकरण पर बातचीत हुई थी। परन्तु आपने उस समय न तो मुझे यह बताया कि आप लोगों से कोई कबूलनामा करवाया गया है,न यह बताया कि श्री अभिनव यादव के द्वारा आपसे सादे कागज पर दस्तख्त करवाया गया है और न ही यह बताया गया कि स्टनों नेहा रानी का पैर पकड़वाकर माफी मंगवाया गया। अतः इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि कथित घटना के सन्दर्भ में आप लोग मेरे समक्ष दो बार उपस्थित हुए,परन्तु वह क्या परिस्थितियाँ थी कि आपने इन सम्पूर्ण बातों को मेरे समक्ष नहीं बताया,जबकि दूसरे अन्य लोग भी,जिनका पूर्व में वर्णन किया गया है,उस समय विश्राम कक्ष में उपस्थित थे ?

3. आपने न तो 'परिवादपत्र में और न ही अपने प्रत्यावेदन में इस बात का कोई उल्लेख किया है कि स्टनों की कुर्सी पर पिन चुभाने की घटना के कारण एक जॉच चल रही थी और उसी जॉच के अनुक्रम में श्री अभिनव यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा आप लोगों को बुलवाया गया। इन तथ्यों का लोपन परिवादपत्र व प्रत्यावेदन में प्रस्तुत करने की अपनी मंशा का स्पष्टीकरण दें?

4. इस सन्दर्भ में आप ^{आपने} स्पष्टीकरण दें कि वह क्या परिस्थितियाँ थी कि बजाय मेरे समक्ष कोई प्रत्यावेदन देने के आपने दिनांक-01 फरवरी 2021 को आपके द्वारा परिवादपत्र दाखिल किया गया व 02 फरवरी 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के समक्ष प्रत्यावेदन दिया गया, परन्तु कोई भी लिखित शिकायत मेरे समक्ष आप लोगों के द्वारा प्रेषित नहीं की गयी ?

दिनांक-12.02.2021


जिला न्यायाधीश
भदोही।

31.02.2021

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद भदोही।

विषय-माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस के जवाब के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

दिनांक 29.01.2021 ई0 को श्रीमान् सिविल जज सी0 डि0 महोदय भदोही द्वारा अपने अर्दलीय रमेश से मुझे व अब्दुल कलाम को अपने चेम्बर में बुलाया तब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम लोगो को किस लिए बुलाया है। जब वहाँ प्रार्थी गया तो श्रीमान सिविल जज महोदय धमकाने लगे की तुम लोगो ने नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया। जबकि हम लोग सफाई कर्मी है अधिकारी व कर्मचारीगण के आने के पूर्व ही अपना काम पूरा कर लेते है। श्री अभिनव यादव जी जी ने अपने चेम्बर में बैठे दरोगा सुनिल यादव को ललकारा की मारो सालों को जब तक यह कबूल न कर ले कि पिन हम लोगो ने लगाया है। इसके बाद दरोगा सुनिल यादव ने 8-10 झापड़ मुझे व 8-10 झापड़ अब्दुल कलाम को मारा इसके बाद सिविल जज साहब ने कहा कि नेहा रानी से पैर पकड़कर माफी मांगो और हमारे मजहब के खिलाफ मुझे, अब्दुल कलाम को मजबूर किया कि हम लोग नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगे।

महोदय, दिनांक 29.01.2021 ई0 को लगभग 1 बजे दिन में मुझे व अब्दुल कलाम को आनन्द तिवारी आकर चेम्बर में ले गये हम लोगो ने सारी घटना आप से बताया लेकिन दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2021 तक श्रीमान् जी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि दिनांक 01.02.2021 ई0 को अपने चेम्बर में सम्मानित न्यायिक अधिकारी एवं नाजिर व डिप्टी नाजिर की उपस्थिति में हम लोगो को धमकी दी गयी कि नामजद एफआईआर करा देगे नाजिर यहाँ से इन लोगो को ले जाओ। इसके बाद प्रार्थी ने मजबूर होकर अपने अधिवक्ता को सारी बातें बताया और कहा कि जब माननीय जिला जज महोदय अपराध करने वाले को ही संरक्षण दे रहे है और मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे है तब मेरे अधिवक्ता के बताने के अनुसार की यह मामला मानवाधिकार के उपजे हुए अपराध का है और कानून के समक्ष न्यायाधीश व प्रशासनिक अधिकारी भी समान है। जिसमें किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरे बताये गये तथ्यों के अनुसार मेरे अधिवक्ता ने यह परिवाद तैयार किया और अपने जूनियर सुरेन्द्र नाथ एडवोकेट से परिवाद पत्र दाखिल कराया जिसमें मेरा व अब्दुल कलाम का बयान हो चुका है।

श्रीमान् हम लोग मुस्लिम हेला तबके से सम्बन्ध रखते है और समाज का वह कार्य जिसे सारी दुनिया गिरा हुआ कार्य समझती है। उसका सम्पादन करते है। पिछले 15-20 वर्षो से हम लोग 6 हजार रूपये के लिए इस न्यायिक परिवार का अंग रहे है और हमारे कार्य निष्ठा व चरित्र पर अब तक कोई अगुली नहीं उठी तब यह कैसा न्याय है कि एक न्यायाधीश स्वयं ही बिना हमें दोषी पाये अपने विश्राम कक्ष में दरोगा से पिटवा रहा है और श्रीमान् जी ने पट्टी बांध लिया।

महोदय हम चूंकि 20 वर्ष से इस परिवार की सेवा कर रहे है अन्यथा 6 हजार रूपये तो प्रार्थी किसी सड़क पर झाड़ू लगा कर कमा सकता है। माननीय महोदय की दृष्टि में यदि हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े है तो हमें जब चाहे कुचल दिजिए न तो हमारा कोई स्वाभिमान है न ही कोई सम्मान है।

अनिल कुमार झा

(2)

महोदय आपके द्वारा दी गयी नोटिस के पैरा 1 में यह कथन है कि मुझे परिवाद दाखिल करने की सलाह किसने दिया। इस सम्बन्ध में जैसा कि उपर कहा है कि मैंने अपनी पीड़ा अपने अधिवक्ता को बताया और उन्होंने सुझाव दिया किया दी जब श्रीमान् जी के जानकारी के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह परिवाद दाखिल किया गया।

महोदय आपके द्वारा नोटिस के पैरा 2 में लिखा तथ्य सत्य नहीं है। क्योंकि इस घटना की जानकारी श्रीमान् जी को मैंने व अब्दुल कलाम ने दिनांक 29.01.2021 ई0 को ही दोपहर में दे दिया था और घटना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बातें बताई थी कबूलनामा व नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगने की बात भी बताई थी, लेकिन श्रीमान् जी द्वारा घटना को छुपाने की गरज से नाजिर व डिप्टी नाजिर व सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आपके द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज दिखाया और धमकी दिया कि नाजिर ले जाईये नामजद एफ0आई0आर0 कराईये। जब कि सी0सी0टी0वी0 फुटेज में कोई ऐसा साक्ष्य है कि हम लोगो न नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया है। सत्यता तो यह है कि हम लोग नेहा रानी का नाम तक नहीं जानते थे।

महोदय नोटिस के पैरा 3 में लिखे गये तथ्य के बारे में यह कहना है कि पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही थी इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी क्योंकि श्रीमान् सिविल जज सि0 डि0 महोदय ने हमें व अब्दुल कलाम को जांच में उपस्थित होने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया बल्कि रमेश चपरासी के द्वारा चेम्बर में बुलवाकर पूर्व योजना के अनुसार चेम्बर में बैठे दरोगा से पिटवाना शुरू कर दिया। इसलिए परिवाद दाखिल करने तक हम लोगो को जानकारी भी नहीं थी की पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही है। क्योंकि प्रार्थी व अब्दुल कलाम को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस कभी नहीं मिली।

महोदय नोटिस के पैरा 4 के सम्बन्ध में यह कथन करना है कि प्रार्थी श्रीमान् सिविल जज महोदय के चेम्बर में प्रार्थी दरोगा से पिटने के बाद नजारत में बैठ कर रो रहा था तब श्री आनन्द तिवारी ने हम लोगो को आप के समक्ष प्रस्तुत किया सारी घटना की जानकारी लेने के बाद भी दिनांक 29, 30, 31 जनवरी 2021 तक आपके द्वारा चुप्पी साधने एवं दिनांक 01.02.2021 को अपने चेम्बर में बुलाकर अपराध करने वाले न्यायाधीश महोदय को बचाने के उद्देश्य से प्रार्थी को ही धमकी देने लगे। इसलिए प्रार्थी ने माननीय महोदय के समक्ष प्रत्यावेदन न देकर मानवाधिकार न्यायालय की शरण लिया और घटना के सम्बन्ध में चतुर्थ कर्मचारी संघ दीवानी न्यायालय भदोही के अध्यक्ष व मंत्री महोदय को प्रत्यावेदन दिया।

आख्या सेवा में सादर समर्पित है।

दिनांक-15.02.2021 ई0

प्रार्थी

अनवर अहमद

सफाई कर्मचारी

जनपद न्यायालय भदोही

31.02.21 अहमद

प्रार्थी के द्वारा
19/2/21 15/2/21

प्रशासनिक कार्यालय-जिला न्यायाधीश,भदोही।

आदेश संख्या- 93 / 12.02.2021

नोटिस

बनाम

श्री अब्दुल कलाम
सफाई कर्मचारी
जनपद न्यायालय
भदोही।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपने सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव, चौकी इंजार्च कस्बा ज्ञानपुर, थाना-ज्ञानपुर श्री सुनील यादव एवं आशुलिपिक जनपद न्यायालय,भदोही श्री नेहा रानी के विरुद्ध एक परिवादपत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भदोही के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया है। उक्त परिवादपत्र संख्या-03 सन् 2021 है। परिवादपत्र में आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप उपरोक्त तीनों के विरुद्ध लगाये गये हैं, उनका ज्ञान आपको अवश्य होगा,ऐसे में, उक्त तथ्यों का यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अतः आप निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक-15.02.2021 तक दीजिए :-

1. उक्त परिवादपत्र दिनांकित-01.2.2021 के अतिरिक्त आपने दिनांक 02.02.2021 को एक प्रतिवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ,जनपद न्यायालय,भदोही के अध्यक्ष व महामंत्री को भी दिया। इस प्रतिवेदन में भी वही तथ्य बताया गया है जो आपके परिवादपत्र में अंकित है। अतः आप इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या आपके द्वारा उक्त परिवाद,जो एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध है,को दायर करने से पूर्व उससे संबंधित नियमों व विधियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?

2. आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि घटित घटना के सन्दर्भ में आपने जनपद न्यायाधीश को सारी बात बतायी थी। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांकित-29.01.2021,जिसका उल्लेख आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, के सन्दर्भ में आप लोगों ने मुझे विश्राम-कक्ष में आकर बताया था, ततपश्चात पुनः सीसीटीवी फुटेज को मेरे विश्राम कक्ष में लैपटाप पर देखा गया व उक्त समय आप व अनवर अहमद को बुलाया गया। उक्त समय आप दोनों के अतिरिक्त प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,श्री पी0एन0श्रीवास्तव, अपर जनपद न्यायाधीश श्री आलोक कुमार यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव,केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह, सहायक नाजिर श्री आनन्द तिवारी एवं कार्यालय

अब्दुल कलाम

Amil

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
भदोही।

सेवा में,

पी०एन० श्रीवास्तव,
अपर जिला जज- प्रथम,
भदोही।

पत्रांक - 249 /XV /ज्ञानपुर; दिनांक: मार्च , 03 , 2021
महोदय,

आपके न्यायालय में लम्बित मानवाधिकार मुकदमा सं०- 03/2021 अनवर
अहमद बनाम अभिनव यादव व अन्य की सम्पूर्ण पत्रावली की आवश्यकता है।

अतः उक्त सम्पूर्ण मूल पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

जनपद न्यायाधीश
भदोही।

सम्पूर्ण पत्रावली ~~जनपद न्यायालय~~ प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित।

jm
21/3/21